



कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू I  
अपरिहार्य प्रमाण पत्र

क्रमांक 935-36/जि0रा0ले0

दिनांक 14-05-24

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू ने पत्र संख्या South Portal-WSA-KLU-DTDO Manali-650 दिनांक 14-05-2024 near Atal Tunnel (WSA)Side Amenities Way के पास बनाने हेतु 0-36-44 हैक्टेयर वन भूमि टुकड़ा नंबर-1 उपमुहाल व फाटी पलचान कोटी व तहसील मनाली जिला कुल्लू के अधिग्रहण हेतु अपरिहार्य प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0), मनाली, जिला कुल्लू की रिपोर्ट क्रमांक 944 दिनांक 14-05-2024 के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु वन भूमि टुकड़ा नंबर-1, कुल रकवा तादादी 0-36-44 हैक्टेयर उपमुहाल व फाटी पलचान कोटी व तहसील मनाली जिला कुल्लू में प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से कोई भी व्यक्ति / परिवार भूमिहीन नहीं हो रहा है। प्रस्तावित भूमि में कोई आम रास्ता, पानी का स्त्रोत, शमशानघाट, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ तथा अन्य सार्वजनिक स्थल आदि नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई गैर वन भूमि या राजस्व भूमि उक्त परियोजन हेतु उपलब्ध न है इसलिए वन भूमि का हस्तांतरण उक्त परियोजन के लिए आवश्यक है।

अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु उपमुहाल व फाटी पलचान कोटी व तहसील मनाली, जिला कुल्लू में 0-36-44 हैक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु अपरिहार्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- ए.सी. -

(तोरुल एस रवीश, भा0प्र0से0)

उपायुक्त कुल्लू।

दिनांक 14-05-24

क्रमांक 935-36/जि0रा0ले0

प्रतिलिपि सेवा में -

- 1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) मनाली, जिला कुल्लू को उपरोक्त पत्र के क्रमांक 944 दिनांक 14-05-2024 संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू को पत्र संख्या -South Portal Manali-WSA-KLU-DTDO 2024-05-14 दिनांक 650 के संदर्भ में अपरिहार्य प्रमाण पत्र सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(तोरुल एस रवीश, भा0प्र0से0)

उपायुक्त कुल्लू।